



दिल्ली विकास प्राधिकरण

(मुख्य योजना अनुभाग)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 22 नवंबर, 2025

फाइल नं.: पीएलजी/एमपी/0091/2022/एफ-20 दिल्ली विकास प्राधिकरण/केंद्र सरकार का दिल्ली विकास अधिनियम की धारा 11-क के अंतर्गत "दिल्ली मुख्य योजना-2021 में ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट (टीओडी) के अध्याय 20" में संशोधन करने का प्रस्ताव है। टीओडी नीति में प्रस्तावित संशोधनों को आपत्तियाँ/सुझाव आमंत्रित करने के लिए पब्लिक डोमेन में एतद्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रस्तावित संशोधनों के संबंध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो/सुझाव देना हो, तो वे अपनी आपत्ति/सुझाव इस सूचना के जारी होने की तिथि से पैंतालीस (45) दिन की अवधि के अंदर लिखित रूप में आयुक्त एवं सचिव, दिल्ली विकास प्राधिकरण, "बी" ब्लॉक, विकास सदन, नई दिल्ली-110023 को या ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से <https://clu.dda.org.in> पर या ई-मेल के माध्यम से mpd2021.public@dda.org.in पर भेज सकते हैं। आपत्ति करने/सुझाव देने वाले व्यक्ति अपना नाम, पता और टेलीफोन/ संपर्क नंबर/ ई-मेल आईडी भी दें, जो पठनीय हो।

प्रस्तावित संशोधन को दर्शाने वाला नक्शा सहित पाठ निम्नलिखित लिंक <https://dda.gov.in/mpd-2021-public-notice-2025> और <https://clu.dda.org.in> पर उपलब्ध है।

ड्राफ्ट नीति का पाठ नक्शा सहित निरीक्षण के लिए उपर्युक्त अवधि के दौरान सभी कार्य दिवसों में उप निदेशक कार्यालय, मुख्य योजना अनुभाग, छठी मंजिल, विकास मीनार, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली-110002 में भी उपलब्ध रहेगा।

सुरेन्द्र कुमार मीणा

आयुक्त एवं सचिव

दिल्ली विकास प्राधिकरण

ddaofficial official_dda official_dda_

कृपया दि.वि.प्रा. की वेबसाइट www.dda.gov.in देखें या टोल फ्री नं. 1800110332 डायल करें।



दिल्ली विकास प्राधिकरण

(मुख्य योजना अनुभाग)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 22 नवंबर, 2025

फाइल नं.: पीएलजी/एमपी/0091/2022/एफ-20 दिल्ली विकास प्राधिकरण/केंद्र सरकार का दिल्ली विकास अधिनियम की धारा 11-क के अंतर्गत "दिल्ली मुख्य योजना-2021 में ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट (टीओडी) के अध्याय 20" में संशोधन करने का प्रस्ताव है। टीओडी नीति में प्रस्तावित संशोधनों को आपत्तियाँ/सुझाव आमंत्रित करने के लिए पब्लिक डोमेन में एतद्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रस्तावित संशोधनों के संबंध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो/सुझाव देना हो, तो वे अपनी आपत्ति/सुझाव इस सूचना के जारी होने की तिथि से पैंतालीस (45) दिन की अवधि के अंदर लिखित रूप में आयुक्त एवं सचिव, दिल्ली विकास प्राधिकरण, "बी" ब्लॉक, विकास सदन, नई दिल्ली-110023 को या ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से <https://clu.dda.org.in> पर या ई-मेल के माध्यम से mpd2021.public@dda.org.in पर भेज सकते हैं। आपत्ति करने/सुझाव देने वाले व्यक्ति अपना नाम, पता और टेलीफोन/ संपर्क नंबर/ ई-मेल आईडी भी दें, जो पठनीय हो।

प्रस्तावित संशोधन को दर्शाने वाला नक्शा सहित पाठ निम्नलिखित लिंक <https://dda.gov.in/mpd-2021-public-notice-2025> और <https://clu.dda.org.in> पर उपलब्ध है।

ड्राफ्ट नीति का पाठ नक्शा सहित निरीक्षण के लिए उपर्युक्त अवधि के दौरान सभी कार्य दिवसों में उप निदेशक कार्यालय, मुख्य योजना अनुभाग, छठी मंजिल, विकास मीनार, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली-110002 में भी उपलब्ध रहेगा।

सुरेन्द्र कुमार मीणा

आयुक्त एवं सचिव

दिल्ली विकास प्राधिकरण

ddaofficial

official_dda

official_dda_

कृपया दि.वि.प्रा. की वेबसाइट www.dda.gov.in देखें या टोल फ्री नं. 1800110332 डायल करें।